फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा निवासी राजकीय अस्तपताल के पास, डॉ. पाराशरा के पीछे कुचामन सिटी

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द — प्रत्यर्थी

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 01/2026

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक **16.01.2026**	

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— एफ.1( )सू0अ0,05/2026/22 दिनांक 09.01.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र जरिये डाक से दिनांक 17.11.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को 21.11.2025 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 977 दिनांक 25.11.2025 से संबंधित कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। आवेदन में ईप्सित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा पत्रांक 1260 दिनांक 17.12.2025 से पृष्ठ संख्या 02 की सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार इस कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गई, इस कार्यालय द्वारा अधिप्रमाणित सूचना कार्यालय के पत्रांक 1068 दिनांक 24.12.2025 से जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(6) के तहत बिना किसी प्रभार के प्रेषित की गई। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना स्थापना

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अनुभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक 1068 दिनांक 24.12.2025 से जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(6) के तहत बिना किसी प्रभार के प्रेषित की गई।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार जरिये पत्रांक 1068 दिनांक 24.12.2025 से जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत बिना किसी प्रभार के प्रार्थी को भिजवा दी गई।

अतः अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थी/अपीलार्थी को भिजवा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)